

रामजीलाल / इन्द्रभूषण - 51/2015

दिनांक	आज्ञा पत्र	
२५.१.२५	<p>पत्रावली पेश। दफ्तर अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी। आगामी तिथि से पूर्व कमीशन से शेष रिकॉर्ड्स को रजिस्टर्ड नोटिस पेश अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रिकॉर्ड्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि अपील को प्रति गम्भीर नहीं है। फलतः अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय से इजलास सुनाना गया। पत्रावली केसल शुभारंभ होकर के काम होकर बाद तत्काल तत्काल दफ्तर है।</p> <p>भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सजसव अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्द्रभूषण)</p>	